

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

ग्यारहा वगैरह बनाम मीठालाल वगैरह

किस्म मुकद्दमा दावा प... नम्बर 57 सन्..2015

| हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------|---|--|
| | <p>8-6-2016</p> <p>राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली क्रम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अरल सेवा केन्द्र गुण्प मण्डावरा पर पेश हुयी। वादीगण मे से ग्यारहा व शंकर तथा प्रतिवादी मीठालाल उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना गया। वादीगण ने बताया कि वादग्रस्त भूराजी रकम 688 रकम 073 हे को हमने प्रतिवादी के पिता के रहत रखी थी। हम पैसा देना चाहते हैं। वादीगण व प्रतिवादी दोनों बैंकर व काभा रकम का हिसाब करते हे। सहमत है। प्रतिवादी को भी पाबंद किया गया कि वह वादीगण से अपनी वकालत रकम प्राप्त करे। बाद आपसी सहमत से इसी शर्त पर निस्तप्रेत किया जाता है। पत्रावली क्रमलुगुनर होकर नम्बर से कम है तथा दफ्तर दारिज हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी उनियारा</p> | <p>मीठालाल</p> <p>ग्यारहा</p> <p>शंकर</p> |